जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/rpba/91 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 28 अक्तूबर 2022

दिवाली के बाद मुंड का बड़ा धमाका!!!

मालवीय नगर जोन मे बिना अनुमति बन रही तीन अवैध इमारतों को किया सील!!

भाग-2

राजापार्क बचाओ अभियान

भूखंड संख्या 153-A रामगली-3,राजापार्क
भूखंड संख्या S-6 विवेकानंद मार्ग,सी स्कीम
और 3/515 मालवीय नगर
पर बन रही अवैध इमारतों को किया सील!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

दिवाली के बाद मुंड का बड़ा धमाका!!!मालवीय नगर जोन मे बिना अनुमति बन रही तीन अवैध इमारतों को किया सील!!

वैसे तो मुकेश मुंड को जोन मे आए 6 महीने हो चुके है,लेकिन " प्रशासन शहरों के संग" जैसी सरकार की महत्वकांशी योजनाओ और उसके बाद दिवाली की व्यस्ताओ के चलते वह अवैध निर्माणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे|लेकिन दिवाली की छुट्टियाँ खत्म होते ही उनके द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए,उनके इलाके मे बन रही तीन इमारतों को सील कर,दिवाली के बाद बड़ा धमाका किया है|उनके इस धमाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वह अवैध इमारतों को बक्शने के मूड मे नहीं है|सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों मे जॉन की 10 से ज्यादा अवैध इमारते उनके राडार पर है,इन अवैध इमारतों को नोटिस देने की कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है|प्रशासनिक अमला मिलते ही इन अवैध इमारतों को भी जल्द ही सील कर दिया जाएगा|सूत्रों के अनुसार यह सभी इमारते इलाके के रसुखदारों की है जो निगम और सरकार को अपनी जेब मे होने का दावा करते है लेकिन मुंड के धमाके से लगता है कि अब वह किसी भी रसूख के आगे कतई नहीं झुकेंगे|

भूखंड संख्या 153-ए रामगली न. 3 पर बिना अनुमति बन रहे फ़्लेटो को किया गया सील|

भूखंड संख्या 3/515 मालवीय नगर पर बिना अनुमति बन रहे व्यवसायिक शोरूम को किया गया सील|

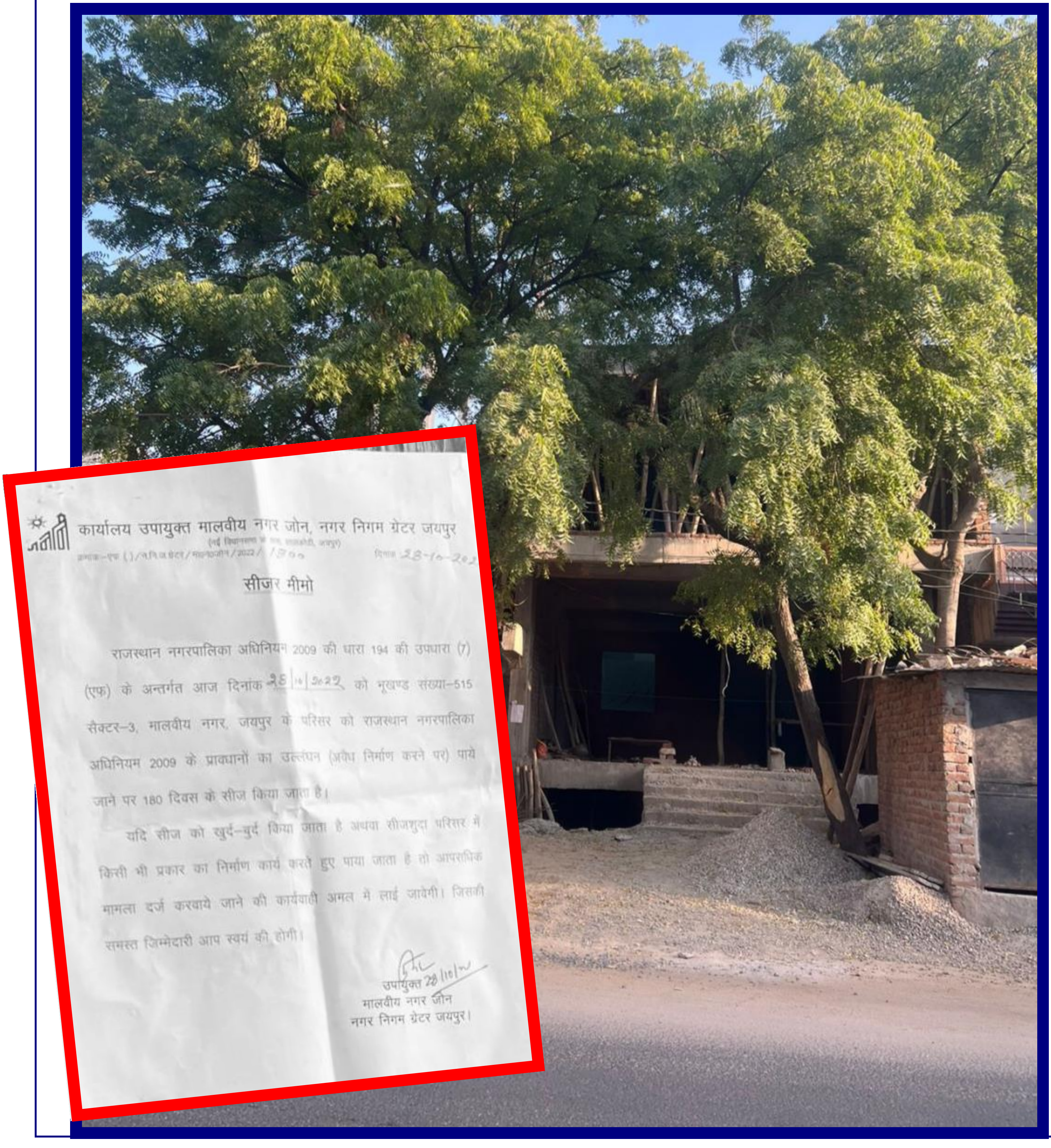

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

क्रमांक–एफ ( )/न.नि.ज.ग्रेटर/मा.न.जोन/2022/ 1300 दिनांक 28-10-2022

सीजर मीमो

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 की उपधारा (7) (एफ) के अन्तर्गत आज दिनांक 28/10/2022 को भूखण्ड संख्या–515 सैक्टर–3, मालवीय नगर, जयपुर के परिसर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन (अवैध निर्माण करने पर) पाये जाने पर 180 दिवस के सीज किया जाता है।

यदि सीज को खुर्द–बुर्द किया जाता है अथवा सीजशुदा परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करते हुए पाया जाता है तो आपराधिक मामला दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

उपायुक्त 28/10/22
मालवीय नगर जोन
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

भूखंड संख्या S-6 विवेकानंद मार्ग,सी स्कीम पर बिना अनुमति बन रहे व्यवसायिक शोरूम को किया गया सील|